न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 13/2014/अपील

1. पूरणमल पुत्र स्व. दीपाराम
2. मोहन पुत्र पूरणमल
3. त्रिलोक पुत्र पूरणमल
4. नवल किशोर पुत्र पूरणमल

} समस्त जाति जाट निवासीगण नानी तहसील व जिला सीकर (राज.)

--अपीलांट्स

बनाम

1. कुम्भाराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर (राज.)
2. भागीरथ
3. रामकुमार
4. ओमप्रकाश
5. लालचन्द

} पुत्रगण रडमल जाति जाट निवासीगण नानी तहसील व जिला सीकर (राज०)

--रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः--

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 03.01.2014 न्यायालय तहसीलदार सीकर मुकदमा नम्बर 1/2013 बउनवानी कुम्भाराम बनाम पूर्णमल आदि प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 30 जुलाई, 2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील वकील **श्री प्रभातीलाल** द्वारा अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार सीकर के प्रकरण संख्या 01/2013 अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

1955 उनवानी कुम्भाराम बनाम पूर्णमल आदेश दिनांकित 03.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 679 वाके ग्राम नानी तक के आवागमन का प्रचलित एवं चालू रास्ता को नजर अन्दाज करके अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 666 में से नया रास्ता कायम करने का निर्णय पारित किया है। "अल्टरनेटिव वे" होने पर दूसरा रास्ता बनाया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहान के बयानो का विधिपूर्ण विश्लेषण नहीं किया एवं ना ही पुराने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया बल्कि द्वितिय भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू-प्रबंध कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा संख्या 678 व 666 में डोटेड लाईन से अंकित करने को ही सुखाधिकार का आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया। द्वितिय भू-प्रबंध कार्यवाही के पूर्व के राजस्व नक्शा को नजर अन्दाज करके भू-प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शा में गलत डोटेड लाईन की प्रविष्टि को एक तरह से कानूनी अमली जामा पहनाने का प्रयास किया है। भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों का "रिपिटेशन" के अलावा भू-प्रबंध कर्मचारियों/अधिकारियों के पास कोई अधिकार सर्जित नहीं था। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी होने के बावजूद भी "वेग' निर्णय" पारित किया है। जिसे निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(2) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2012 को खसरा संख्या 661 व 666 में चालू रास्ते को अवरूद्ध करने का अपीलांट्स पर आरोप लगाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया (जबकि खसरा संख्या 661 का अपीलांट्स में से कोई खातेदार नही है। ना ही अधिनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 661 के खातेदारान को पक्षकार बनाया) जिसमें दिनांक 21.06.2011 को रास्ता खुलवाया जाने का कथन भी किया एवं अपना रास्ता पूरी तरह से बन्द होने का कथन किया।" परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय को राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा निरस्त कर पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं मौका देखकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली को

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

रिमाण्ड करने के तथ्यों को आवेदन में छुपा लिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि तक आवागमन का रास्ता चालू होने के बावजूद भी दूसरा एक अतिरिक्त नया रास्ता प्राप्त करने की कुमंशा के तहत आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसके सम्बन्ध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विधिपूर्ण आदेश पारित नहीं करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व खसरा संख्या 677, 678, 679 के सहखातेदार सुरजमल के बयानों को भी नजरअंदाज कर दिया जिसने खसरा संख्या 661 से 668 व 670, 675 में प्रवेश करते हुए अपने खेत में प्रवेश करने का सशपथ कथन किया था इसके अलावा दिनांक 07.10.2013 को मौका की वास्तविक स्थिति का बनाया गया नक्शा में भी खसरा संख्या 661, 668, 670, 675 में रास्ता चालू होना बताया है तथा इससे पूर्व दिनाक 09.06.2012 को बनाई गई मौका रिपोर्ट में भी 13 फिट चौड़ाई का रास्ता अवस्थित होना बताया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 666 में से तीन मीटर चौड़ाई का रास्ता खोलने का आदेश पारित कर दिया। जिसे निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(4) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट्स से रंजिश रखता है। जिस कारण ही अपीलान्ट्स को नुकसान पहुंचाने का कृत्य कर रहा है। नाही खसरा संख्या 677, 678, 679 के अन्य सहखातेदारान ने खसरा संख्या 661, 668, 670, 675 में से अवस्थित चालू रास्ता नहीं होने का कोई कथन किया बल्कि खसरा संख्या 677, 678, 679 के अन्य सहखातेदारान अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए खसरा संख्या 661, 668, 670, 675 में से अवस्थित 13 फिट चौड़ा रास्ता को काम में लेते है परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विरूद्ध पत्रावली निर्णय पारित कर खसरा संख्या 666 में डोटेड लाईन के मध्य रास्ता खोलने का निर्णय पारित किया है जबकि उक्त डोटेड लाईन खसरा संख्या 679 में भी खसरा संख्या 678 तक नक्शा में है परन्तु मौका रिपोर्ट के मुताबिक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी में भी मौके पर इस प्रकार का कोई रास्ता अवस्थित नही है तथा उक्त डोटेड लाईन अपीलान्ट्स की कृषि

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

भूमि खसरा संख्या 666 के बीचो बीच रास्ता का अस्तित्व कभी भी नही होने के बावजूद भू–प्रबंध कर्मचारियो द्वारा अंकित कर देने के आधार पर अपीलान्ट्स की कृषि भूमि को 2 भागो में बांटकर नुकसान पहुंचाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रयासरत रहा है जबकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत निर्णय उसी रास्ता के सम्बन्ध में पारित किया जा सकता है। जो अर्सा करीब 21 वर्ष से अधिक समय से प्रचलन में हो जबकि खसरा संख्या 666, 667 में से कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं खसरा संख्या 677, 678, 679 के अन्य सहखातेदारान अथवा अन्य किसी के आवागमन का रास्ता कभी प्रचलन में नही रहा है। फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जिसे निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(5) अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तूत कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तूत अपील को स्वीकार किया जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांकित 03.01.2014 को निरस्त किया जाने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. को जवाब एवं बहस के लिए समुचित अवसर प्रदान करने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दौराने बहस भी वकील रेस्पो. को बार–बार आवाज लगवायी गई परन्तु रेस्पो. की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

3. हमने वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 679 वाके ग्राम नानी तक के आवागमन का प्रचलित एवं चालू रास्ता को नजर अन्दाज करके अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 666 में से नया रास्ता कायम करने का निर्णय पारित किया है। "अल्टरनेटिव वे" होने पर दूसरा रास्ता बनाया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। द्वितीय भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध

कैमरे चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा संख्या 678 व 666 में डोटेड लाईन से रास्ता अंकित कर दिया था, जबकि पुराने राजस्व रिकार्ड में रास्ते का कोई अंकन नहीं था और मौके पर भी कभी रास्ता मौजूद नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने पुराने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मात्र सुखाधिकार का आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट्स पर आरोप लगाते हुए दिनांक 23.01.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 661 व 666 में चालू रास्ते को अवरूद्ध करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि अपीलांट्स खसरा संख्या 661 के खातेदार नहीं है ना ही अधिनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 661 के खातेदारान को पक्षकार बनाया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय को राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा निरस्त कर पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं मौका देखकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली को रिमाण्ड करने के तथ्यों को आवेदन में छुपा लिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि तक आवागमन का रास्ता चालू होने के बावजूद भी दूसरा एक अतिरिक्त नया रास्ता प्राप्त करने की कुमंशा के तहत आवेदन प्रस्तुत कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व खसरा संख्या 677, 678, 679 के सहखातेदार सुरजमल के बयानों को भी नजरअंदाज कर दिया जिसने खसरा संख्या 661 से 668 व 670, 675 में प्रवेश करते हुए अपने खेत में प्रवेश करने का सशपथ कथन किया था। इसके अलावा दिनांक 07.10.2013 को मौका की वास्तविक स्थिति का बनाया गया नक्शा में भी खसरा संख्या 661, 668, 670, 675 के मध्य रास्ता चालू होना बताया है तथा इससे पूर्व दिनाक 09.06.2012 को बनाई गई मौका रिपोर्ट में भी 13 फिट चौड़ाई का रास्ता अवस्थित होना बताया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 666 में से तीन मीटर चौड़ाई का रास्ता खोलने का आदेश पारित कर दिया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2014 निरस्त किया जावे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

5. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

- वकील रेस्पो. को जवाब एवं बहस के लिए समुचित अवसर प्रदान करने पर भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। दौराने बहस भी वकील रेस्पों. को बार–बार आवाज लगवाये जाने पर भी अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं रिपोर्ट भू.अ.नि. से प्रमाणित होता है कि खसरा नम्बर 679 में आवागमन हेतु मौके पर पूर्व से एक अन्य रास्ता मौजूद है। पूर्व से रास्ता उपलब्ध होते हुए भी तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 251 के तहत कार्यवाही करते हुए अन्य रास्ता काटा जाना सुखाचार अथवा सुखाधिकार की श्रेणी में नहीं आता है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.2012 एवं 07.10.2013 में भी विरोधाभाष है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **आंशिक स्वीकार** की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें है।

7. निर्णय आज दिनांक **30 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर